बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 11.01.2014

संचिका सं०–**17/ए 2–02/2014** -34(17) /स्वा०/ स्वास्थ्य विभाग के आदेश ज्ञापांक–17/विविध 1–44/2013–1290(17) दिनांक 11.12.2013 एवं 01(17) दिनांक 02.01.2014 द्वारा गठित चयन समिति की अनुंशसा के आलोक में निम्नांकित चिकित्सकों को प्राध्यापक के गैर संवर्गीय रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर अधिकतम तीन वर्षों तक के लिए अथवा प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ–4 के चिकित्सा महाविद्यालय में संविदा के आधार पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्रं०	**चिकित्सक का नाम एवं पता**	**पद नाम एवं विभाग**	**पदस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय का नाम**
1	**2**	**3**	**4**
1	डा० तनोज कुमार, 0-56 डॉक्टर्स कॉलोनी कंकड़बाग, पटना। पिनकोड–800020.	प्राध्यापक, (संविदा) दंत विभाग (नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के दंत विभाग में प्राध्यापक का पद सृजित नहीं होने के कारण प्राध्यापक हड्डी रोग विभाग के स्वीकृत एवं रिक्त पद के विरूद्ध)	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
2	डा० राकेश रंजन, ब्रज–गीत कुंज, बैंक ऑफ इण्डिया कॉलोनी, जिला–पटना, राज्य–बिहार, पिनकोड–800014	प्राध्यापक, (संविदा) एनाटॉमी विभाग	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
3	डा० दिलीप कुमार सिन्हा, 303 विश्वनाथ प्लाजा, मीठापुर, पटना। पिनकोड–800001.	प्राध्यापक, (संविदा) हड्डी रोग विभाग	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
4	डा० सतीश कुमार सिंह, रोड नं०–1ई० न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना। पिनकोड–800013.	प्राध्यापक, (संविदा) औषधि विभाग	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।

(हस्ताक्षर)

D/R.n.k. sinha sir/Adhisuchna/

2. संविदा पर नव नियुक्त चिकित्सक शिक्षक को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर अनिवार्य रूप से अविलम्ब कार्यभार ग्रहण कर लें।

3. विभागीय संकल्प संख्या–1267(17) दिनांक 28.11.2013 में निहित प्रावधान/अनुदेश के अनुसार संविदा आधारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा, मानदेय की निकासी प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना विभाग से प्राप्त आवंटन के विशेष अदायगी मद से करेगें तथा इसकी सूचना निदेशानुसार विभाग को देंगे।

4. नियुक्ति संबंधी शर्ते :–

(क) समय–समय पर इनके कार्य एवं आचरण की समीक्षा की जायेगी, जिसे असंतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में समय से पूर्व भी कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।

(ख) प्राचार्य योगदान के समय एक सौ रूपये के नन जूडिसीयल/एडहेसिव स्टाम्प पर सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुबंध संबंधी विहित प्रपत्र में अनुबंध हस्ताक्षरित करा लेंगे तथा योगदान के समय शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की जाँच कर लेगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11.1.14

(राजेन्द्र प्रसाद ओझा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :–17/ए 2–02/2014 - 34(17) **पटना, दिनांक–** 11.01.2014.

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै० दा० नि० को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्राचार्य/अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना एवं सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–माननीय मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य (श्री कुमार)/जिला पदाधिकारी पटना/सिविल सर्जन, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

11.1.14

सरकार के अपर सचिव।

D/R.n.k. sinha sir/Adhisuchna/